RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-02
February-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

इक्कीसवीं सदी और भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएँ

Kumar Madhav

Research Scholar, Department of Hindi, The English and Foreign Languages University Hyderabad

भारत न सिर्फ कई धर्मों का देश है बल्कि कई भाषा परिवारों का भी देश है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने के क्रम में न सिर्फ भौगोलिक विविधता में बदलाव होता है बल्कि भाषाई परिवार में भी बदलाव होता है। इसलिए भारत दर्शन के दौरान भाषा दर्शन भी होता है। साथ ही अलग-अलग प्रांत में अलग अलग भाषा एवं उसकी प्रकृति, संरचना, इतिहास का भी दर्शन होता है। इसलिए भारतीय भाषाओं के विकास को समझना महत्वपूर्ण है।

भारतीय भाषाओं का विकास: ऐतिहासिक स्रोत की तरफ ध्यान दिया जाए तो भक्ति साहित्य से देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय भाषा के विकास को बढ़ावा मिला। चूंकि उस काल में भाषिक एवं भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। किन्तु आठवीं अनुसूची को पढ़ा जाए तो यह पाया जाता है कि इसमें शामिल भाषा का विकास इसी काल में हुआ था।

उदाहरण के लिए- हिन्दी प्रदेश की बात की जाए तो ब्रज, अवधी, मैथिली आदि भाषाओं का साहित्यिक विकास भक्तिकाल में ही हुआ है। विदेशी शासन के चलते स्थानीय भाषा को राजभाषा से जहां एक तरफ वंचित रखा गया, वहीं दूसरी ओर प्रयोजनमूलक क्षेत्र में स्थानीय भाषा के अभाव के कारण भी स्थिति संतोष जनक नहीं थी। इस विपरीत परिस्थिति में भी दरबारी भाषा के स्थान पर लोक भाषा का विकास हुआ।

सगुण और निर्गुण साहित्य के अंतर्गत आने वाले सभी संतों और लेखकों नें राजदरबरी भाषा के स्थान पर लोक भाषा का चयन किया। जिसका परिणाम हुआ कि आने वाले समय अर्थात स्वतंत्रता के बाद इन भाषाओं में रचित साहित्य एवं इसकी लोकप्रियता के आधार पर संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने की प्रेरणा मिली।

संस्कृत, ओडिया के साथ-साथ दक्षिण भारत की भाषा मलयालम, तमिल, कन्नड एवं तेलुगू को ऐतिहासिक समृद्धि के आधार पर शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत रखा गया है। किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा तभी दिया जाता है जब उसका इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो। इसलिए संविधान की आठवीं अनुसूची में छह ऐसी भी भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है।

भाषा परिवार और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषा- वैसे तो विश्व में कई भाषा परिवार हैं, किन्तु भारत के संदर्भ में दो भाषा परिवार महत्वपूर्ण है- पहला भारोपीय और दूसरा द्रविड। इन दो भाषा परिवार के अतिरिक्त भी भाषा परिवार हैं– जैसे- ऑस्ट्रो एशियाई, मुंडा और चीनी, तिब्बती परिवार। मुख्य रूप से इन्हीं परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आठवीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध भाषाएँ-

भाषा		मैथिली
असमिया	मलयालम	तमिल
बंगाली	मणिपुरी	उर्दू
गुजराती	सिन्धी	संस्कृत
हिन्दी	पंजाबी	संताली
कन्नड़	ओड़िया	नेपाली
कश्मीरी	मराठी	बोडो
कोंकणी	तेलगु	डोंगरी

प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। किन्तु बाद में किए गए संसोधन के आधार पर इसमें अन्य 8 भाषाओं को भी शामिल किया गया।

इसके अतिरिक्त भी कई भाषाएँ हैं जिसे आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हो रही है। जैसे- भोजपुरी, तुलु, राजस्थानी, वागड़ी, मारवाड़ी आदि।

प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा की प्रति तीगली नीति नें जमीन पर आक्रोश को जन्म दिया है। जिसके कारण आज धारणा प्रदर्शन तेज हुआ है। साथ ही इस आंदोलन के पीछे भाषाई राज्य का महत्वाकांक्षा भी छिपा हुआ होता है। भाषा की राजनीति को समझने के लिए हिन्दी के प्रसिद्ध कवि धूमिल की कविता का उद्धरण देना आवश्यक है-

चंद चालाक लोगों ने— (जिनकी नरभक्षी जीभ ने पसीने का स्वाद चख लिया है)

बहस के लिए
भूख की जगह

RRIJM 2015, All Rights Reserved

भाषा को रख दिया है
उन्हें मालूम है कि भूख से
भागा हुआ आदमी
भाषा की ओर जाएगा.....
हाय! जो असली कसाई है
उसकी निगाह में
तुम्हारा यह तमिल-दुख
मेरी इस भोजपुरी-पीड़ा का
भाई है
भाषा उस तिकड़मी दरिंदे का कौर है
जो सड़क पर और है
संसद में और है। [1]

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में देखा जाए तो इंडो-आर्यन परिवार की भाषा अधिक है। उर्दू ऐसी भाषा है जिसका संविधान की आठवीं सूची में शामिल होना एक विवाद है। साथ ही इस भाषा नें तुष्टीकरण की राजनीति को मजबूत किया है। वहीं मैथली को हिन्दी भाषा से अलग कर आठवीं अनुसूची में शामिल कर सरकार नें क्षेत्रीय भाषा के आंदोलन को बढ़ावा दिया है। इस घटना के बाद हिन्दी भाषा का विरोध दक्षिण भारत में नहीं बल्कि उत्तर भारत में ही होने लगा। हिन्दी भाषा के विकास को इससे धक्का लगा। जो लोग हिन्दी को हिन्दू राष्ट्रवाद से जोड़ कर देखते हैं वह यह भूल जाते है कि हिन्दी सिर्फ हिन्दू की भाषा नहीं है। यदि ऐसा होता तो केरल और तमिलनाडु का हिन्दू इसके विरोध में पुतला दहन नहीं करता। यह भारत की भाषा है जिसको आगे बढ़ाने में असंख्य लोगों नें अपनी मातृभाषा की कुर्बानी दी है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद आदि नें भोजपुरी की स्थान पर साहित्यिक लेखन के लिए हिन्दी भाषा का चयन किया। कामिल बूलके नें हिन्दी भाषा में शोध लिखने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी देवगौड़ा नें लालकिले के प्राचीर से हिन्दी में भाषण देकर यह संकेत दिया कि मुल्क की एकता से बढ़कर कुछ नहीं। जिन बुद्धिजीवियों द्वारा हिन्दी भाषा के विरोध में या दूसरी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए वकालत की जाती है उनसे पुछना चाहिए कि आप नें अपनी पुस्तक के लिए लक्ष्य भाषा के रूप में हिन्दी का चयन क्यों किया।

यदि कोई उत्तर भारत का व्यक्ति दक्षिण भारत की भाषा नहीं बोलता है उसका मुख्य कारण यह नहीं है कि वह दक्षिण भारत से नफरत करता है। बल्कि यथार्थ यह है कि वह भी मानक हिन्दी सीख रहा होता है। क्योंकि उसकी भी मातृभाषा ब्रज, अंगिका, भोजपुरी, वागड़ी, मारवाड़ी है। वह दसवीं कक्षा तक वागड़ी और हिन्दी में कोड स्वीचिंग और मिक्सिंग करता फिरता है। इन्हीं बात को ध्यान में रखकर शायद त्रिभाषा सूत्र का निर्माण किया गया था। किन्तु हिन्दी प्रदेश के शहर और कस्बों के विद्यालय में इसे लागू नहीं किया गया। इसके पीछे तीन तर्क दिया जा सकता है कि विद्यालय में आधुनिक भाषा के शिक्षक की भर्ती न करना, दूसरा इच्छाशक्ति की कमी तीसरा संस्कृत भाषा का विद्यालय में वृक्षारोपण करना। जिससे संस्कृत सीखने वालों की संख्या बनी रहे और उसे मृत भाषा घोषित न कर दिया जाए। संस्कृत के संबंध में कबीर दास को उद्धृत करना होगा कि संसकिरत है कूप जल, भाखा बहता नीर। कुछ लोगों नें कूप जल को नदी बनाने का प्रयास कर रहें है जो कि संभव नहीं है यदि हिन्दी को राष्ट्र भाषा की ओर लेकर जाना है तो सरकार को त्रिभाषा सूत्र को अविलंब लागू करना चाहिए। जिससे भारतीय भाषा भी मजबूत होगी एवं अंतर्राज्यीय पलायन करने वाले मजदूरों को रोजगार ढूँढने में मदद मिलेगा। इसके लिए सरकार रेल मंत्रालय के ट्रांज़िट आंकड़ों को प्रयोग कर सकती है। किन्तु इसके लिए यह भी समझना आवशयक है कि **त्रि-भाषा क्या है?**

त्रि-भाषा सूत्र अर्थ सामान्य वाक्य में तीन भाषाएँ जो प्रपत्र के संदर्भ हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा से है। भाषा विवाद को सुलझाने के लिए इस सूत्र की मांग स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधी सुझावों के लिये सरकार द्वारा गठित राधाकृष्णन आयोग (1948-49) की रिपोर्ट में की गई थी। यदि इसका ढांचागत विकास देखा जाए तो इसे सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 के दस्तावेज़ में स्वीकर्ति मिली। जिसमें माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी एवं अँग्रेजी में शिक्षा देने का विकल्प अपनाया जाए पर जोर दिया गया था। पुनः इस क्षेत्र में द्विभाषा सूत्र का भी फार्मूला आया। जिसके नेतृत्वकर्ता डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। जिनके द्वारा वर्ष 1955 कहा गया कि क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी भाषा को सीखा जाए एवं अँग्रेजी को वैकल्पिक भाषा में पढ़ाया जाए। यह कटु सत्य है कि कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में 'त्रि-भाषा सूत्र' को स्वीकार तो कर लिया गया किन्तु इस नीति का फाइलों में ही विचरण होता रहा और इसे धरातल पर नहीं लाया जा सका।

त्रिभाषा की चुनौती- वर्तमान तमिलनाडू तब की मद्रास प्रेसीडेंसी में हिन्दी भाषा का विरोध होना तब शुरू हो गया था जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। वर्ष 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी हुए प्रांतीय चुनाव को जीतने के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नें राज्य में हिंदी की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहा। जिसका परिणाम हुआ कि 125 माध्यमिक स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू किया गया। जिसके कुछ समय बाद हिन्दी के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। इस विरोध के कारण वर्ष 1939 में राजगोपालाचारी की सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत को त्यागपत्र दे दिया। जिसके बाद ब्रिटिश शासन ने इस फैसले को पलट दिया। अंग्रेज़ो के विरोध में कोई आंदोलन होता था तो उसकी जांच होती थी। किन्तु भाषा के मुद्दे पर हुए इतने बड़े आंदोलन की जांच रिपोर्ट समाज में नहीं है। इसलिए तमिलनाडू में हिन्दी भाषा के विरोध में हुए आंदोलन के कारण का स्पष्ट दस्तावेज़ नहीं है। किन्तु रामविलास शर्मा जैसे भाषाविद मानते हैं यह जन आंदोलन न होकर दवाब समूह द्वारा कराया आंदोलन था।

[1]

यदि पूर्ण रूम जन आंदोलन होता तो चेन्नई दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा समिति की स्थापना नहीं हो पाती। बाद में कई विदेशी कंपनी नें इस आंदोलन को अपने हित के लिए प्रयोग किया। सरकार की विफलता रही कि वह इस नीति के फायदे को वहाँ सही ढंग से संप्रेषित नहीं कर पाई। नियोजित तरीके से आयोजित हिन्दी विरोधी आंदोलन को अब राजकीय रूप दिया गया है। जिसमें जनता से पहले राज्य सकरकर हिन्दी का विरोध करती है। बाद में भाषा का यह मुद्दा तमिलनाडू की पहचान बन जाएगी यह किसी को पता नहीं था। एक राष्ट्र के निर्माण में सिर्फ देशभक्त की सहादत की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि कई संस्कृति और भाषा का भी सहादत देना होता है। अमेरिका का लोकतंत्र भी रेड इंडियन और वहाँ के आदिवासी समाज को उजाड़ कर ही स्थापित किया गया। इसलिए किसी भी स्थापना के विरोध में इतिहास के स्रोत को बेहतर ढंग से स्थापित करना चाहिए।

संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल इंडो आर्यन परिवार की शामिल भाषा-

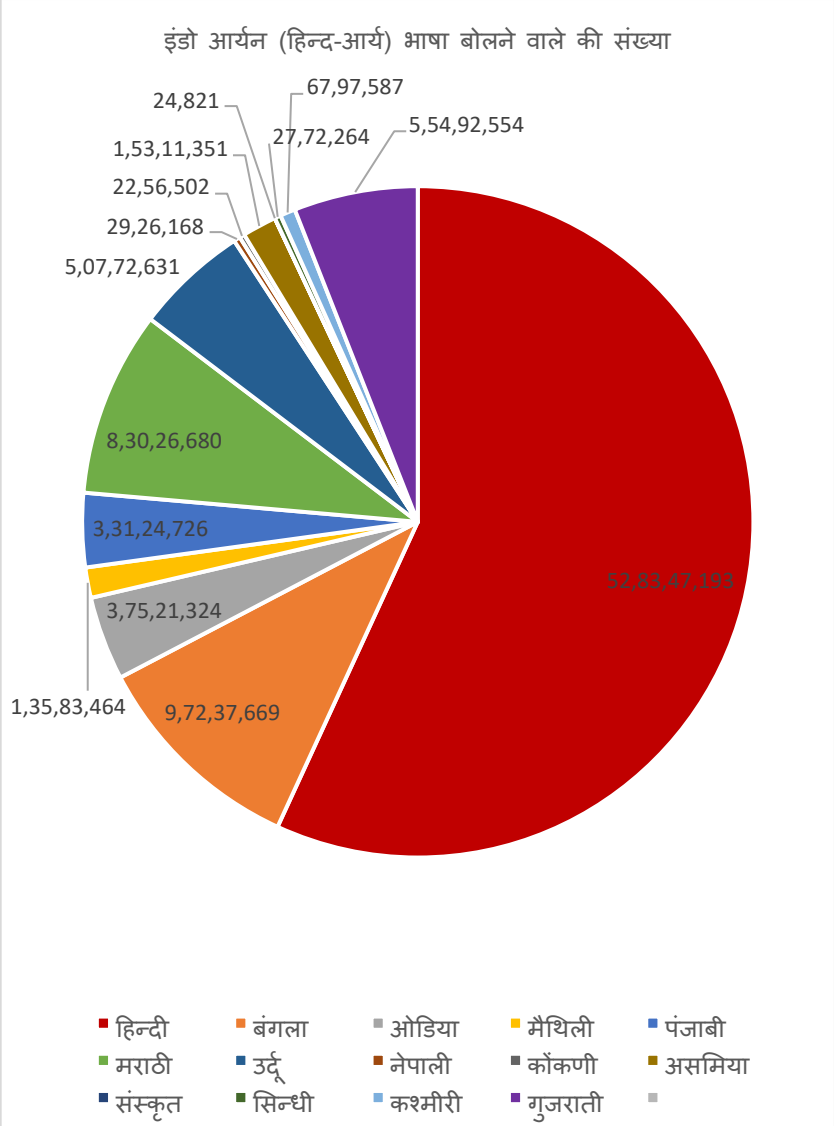

द्रविड परिवार की भाषा-

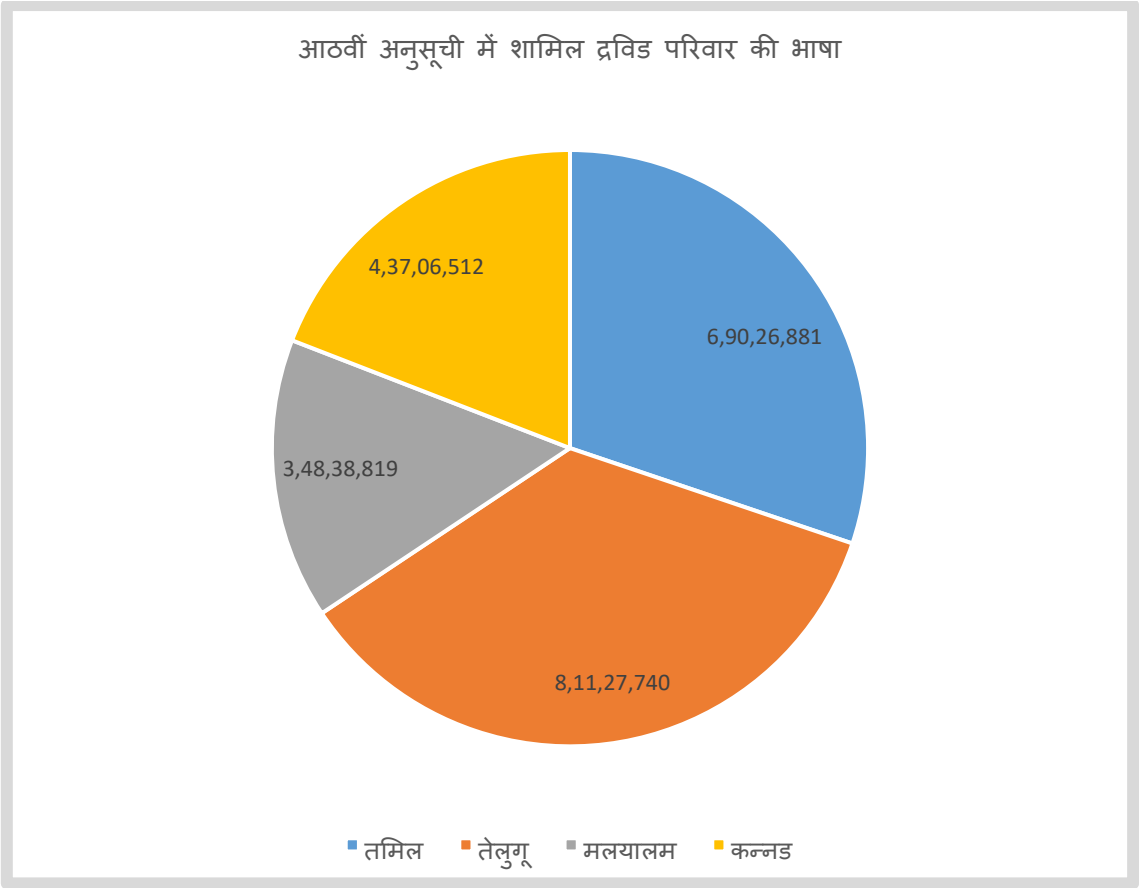

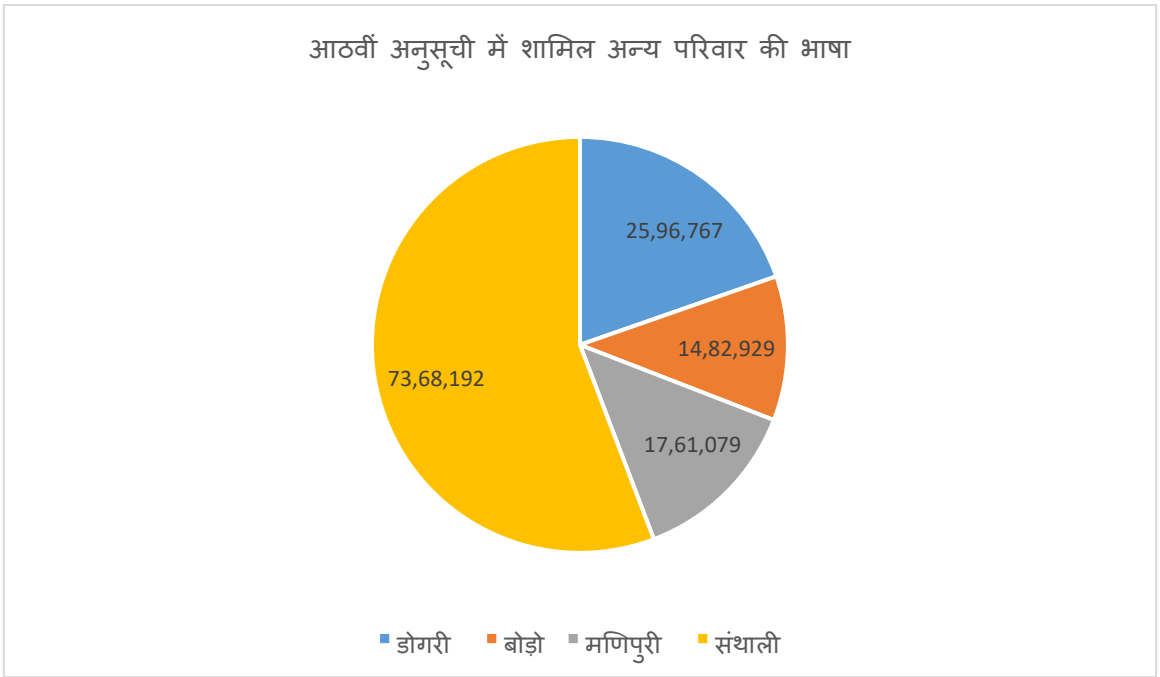

भारतीय भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के फायदे:
जब किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उस भाषा में लिखित साहित्य को न सिर्फ राष्ट्रिय स्तर की पहचान मिलती है बल्कि उसे संवैधानिक रूप से आर्थिक एवं राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। यदि कोई भारतीय भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल होती है तो उस भाषा में रचित साहित्यिक रचनाओं को अन्य भाषा में अनूदित भी किया जाता है। साहित्य अकादमी से मान्यता से मान्यता मिलने बाद उसकी क्षेत्रीय पहचान बढ़ जाती है।

भाषा को मान्यता मिलने के बाद प्रदेश के विधानसभा के सदस्य आधिकारिक रूप से सदन में इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही

RRIJM 2015, All Rights Reserved

संसद सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा में अनुमति पर इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं।

संघ लोक सेवा एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में विषय चयन का विकल्प मिलता है। सूचीबद्ध होने बाद भाषा को केंद्र सरकार की ओर से विशेष अनुदान दिया जाता है। सूचीबद्ध होने के बाद इन भाषाओं के रूप, शैली भावों से हिन्दी भाषा को समृद्ध किया जाता है।

भारतीय भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के नुकसान- भारतीय भाषा को इस सूची में शामिल करने का उद्देश्य हिन्दी भाषा को अधिक धनी करना होता है या भारतीय भाषाओं के रूप, शैली भावों से हिन्दी भाषा को समृद्ध किया जाना होता है। शाब्दिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा की तुलना में इसने भाषिक अलगाव को अधिक बढ़ाया।

भाषाई राज्य की परिकल्पना में वृद्धि - सामान्य शब्दों में भाषाई राज्यों का अर्थ होता है कि राज्यों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर विभाजित किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि भारत में कई भाषाएं हैं। इसलिए, बेहतर सुशासन के लिए, क्षेत्रों को भाषाओं के आधार पर विभाजित किया जाता है। जैसे- मैथिली भाषा भी ब्रज, राजस्थानी की तरह हिन्दी भाषा के अंतर्गत आती थी। किन्तु इसे आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया जिसके बाद बिहार में एक और राज्य की मांग उठने लगी। इसी तरह पश्चिम बंगाल में नेपाली भाषा के आधार पर गोरखालैंड की मांग हुई आदि।

भाषाई विवाद- तमिल-तेलुगू विवाद के आधार पर आंध्रप्रदेश की मांग की गई। किन्तु तेलंगाना राज्य इस नियम के विरुद्ध बना।

झरखंड, उतराखंड और छतीसगढ़ का निर्माण करना। जहां स्थानीय भाषा के आधार पर कई बार भाषिक भेद भाव होते रहता है। राजस्थानी में साहित्य अकादमी अवार्ड मिलने कारण जहां एक ओर राजस्थानी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग होती रही है। वही दूसरी तरफ वागड़ी, मारवाड़ी भाषा भी आठवीं अनुसूची में शामिल करने का मांग उठते रहा है।

'तुलू' भाषा विवाद: तुलू भाषा का संबंध द्रविड़ परिवार से है, इस भाषा को बोलने-समझने वाले अधिकांश लोग कर्नाटक के दो तटीय ज़िलों और केरल के कासरागोड ज़िले में रहते हैं। तुलू बाहुल्य क्षेत्र को तुलूनाडू के नाम से भी जाना जाता है। तुलूनाडू को अलग राज्य का दर्ज़ा देने की मांग की जा रही है।

'वागड़ी भाषा विवाद वागड़ी भाषा का संबंध भील भाषा से है और भील भाषा का संबंध इंडो- आर्यन परिवार से है, इस भाषा को दक्षिण राजस्थान में बोला जाता है। वागडी बाहुल्य क्षेत्र को वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। वागड़ को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है।

ऐसे क्षेत्र में मातृभाषा बनाम प्रादेशिक भाषा की राजनीति होती रहती है। इसलिए मातृभाषा की अवधारण को भी संक्षेप में समझना आवश्यक है।

एक अनुमान के मुताबिक विश्व में लगभग 7,000 से अधिक भाषाएँ हैं। यदि सिर्फ भारत की स्थिति को देखा जाए तो 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएँ, 1635 मातृभाषाएँ और 234 पहचान योग्य मातृभाषाएँ हैं।

मातृभाषा- भारत में अपनी मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया है। जिसके कारण संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिये प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। कुछ आंकड़ों को जमा करने के बाद यह स्पष्टता बनी कि जहां मातृभाषा में शिक्षा का विधान है वहाँ संवाद के रूप में मातृभाषा का प्रयोग होता है जबकि शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होता है। बच्चे अपने प्रारंभिक दिनों से ही कोड मिक्सिंग और स्वीचिंग में उलझे रहते है। जैसे- अंगिका हिन्दी में कोड मिश्रण, मैथिली हिन्दी में कोड मिश्रण आदि।

संविधान निर्माताओं नें संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित तिथि से पहले ही मातृभाषा में शिक्षा की प्राथमिकता को समझा था। जिसका प्रावधान संविधान में किया गाय है। वर्ष 2017 के बाद से 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29: यह "अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण" से संबंधित है। इसमें लिखा गया है कि नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है, को बनाए रखने का अधिकार है।

इसने हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा में एक खाईं तैयार की है। जिससे मातृभाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा के बहस को जन्म दिया है। जिसके कारण अब राष्ट्रभाषा के स्थान पर मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा पर अधिक चर्चा होने लगी है। उदाहरण के लिए- यदि किसी बच्चे का घर की भाषा अंगिका है। विद्यालय की भाषा हिन्दी है और द्वितीय भाषा के रूप में अँग्रेजी को मान्यता दिया जाए तो भ्रम की स्थिति बनती है। बच्चा मैथिली बोल रहा है और बताता है कि उसकी मातृभाषा हिन्दी है और राष्ट्र भाषा हिन्दी है। राष्ट्र भाषा और राजभाषा में अंतर करना भी भ्रामक होता है।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम- मूल रूप से देखा जाए तो राज्यों का निर्माण राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर किया जाता था। किन्तु 1956 में फ़ज़ल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। जिसके बाद 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। इसमें भाषाई राज्यों की स्थापना सबसे उल्लेखनीय सिफारिश थी। जिसके बाद केंद्र सरकार ने भाषाई या सांस्कृतिक आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करना

RRIJM 2015, All Rights Reserved

प्रारंभ किया। एक तरफ तो भाषाई पुनर्गठन ने देश की एकता को मजबूत किया तो वहीं दूसरी ओर कई चुनौतियाँ भी खड़ी की है। यह चुनौती विविधता की स्थान पर स्थानीयता में संकुचित होती जा रही है। पहले भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करो पुनः भाषाई राज्य निर्माण की मांग करो।

ज्ञानपीठ पुरुषकार-

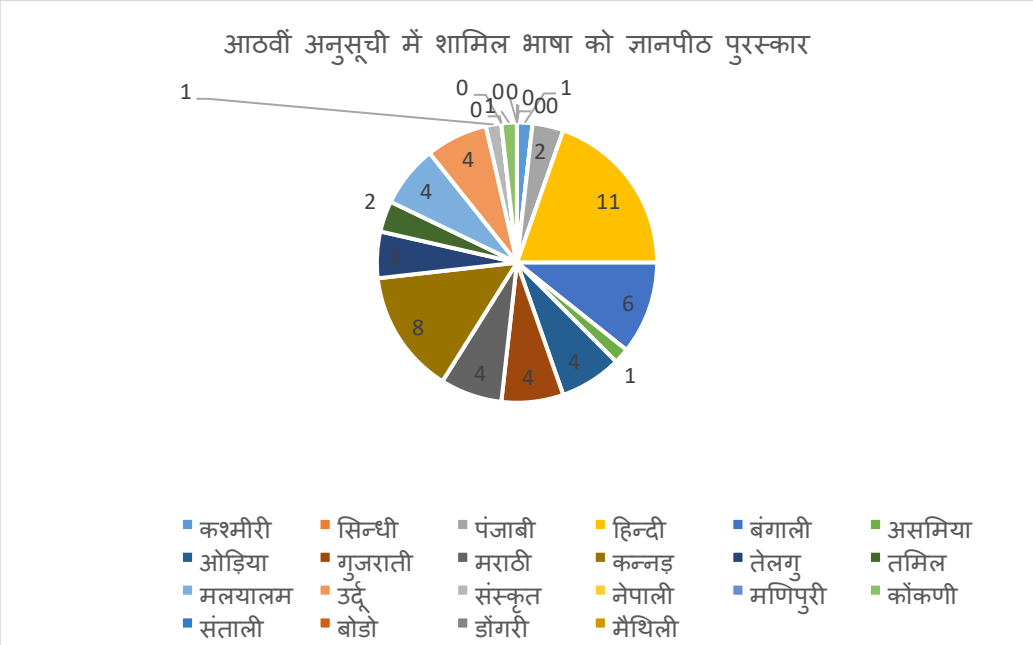

कश्मीरी	1
सिन्धी	0
पंजाबी	2
हिन्दी	11
बंगाली	6
असमिया	1
ओड़िया	4
गुजराती	4
मराठी	4
कन्नड़	8
तेलगु	3
तमिल	2
मलयालम	4
उर्दू	4
संस्कृत	1
नेपाली	0
मणिपुरी	0
कोंकणी	1
संताली	0
बोडो	0
डोंगरी	0
मैथिली	0

उपरोक्त आंकड़ों को देखा जाए तो कई ऐसी अनुसूचित भाषा है जिसमें अभी तक कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। इसलिए यह कहना जल्दबाज़ी होगा कि यदि किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए तो भाषा की स्थिति बेहतर हो जाएगी। मैथिली का दिया

जा सकता है। इसे हिन्दी के अंतर्गत रखा जाता तो को समस्या नही थी। इसी तरह यदि उर्दू को हिन्दी में ही रखा जाता तो हिन्दी और उर्दू को जोड़कर कुल 15 पुरस्कार प्राप्त होते। साथ ही भाषाई भेदभाव भी कम होता। इसलिए इक्कीसवीं सदी में भारतीय भाषा के विकास में सभी भाषाओं की शब्दावली एवं वाक्यों का कोड मिक्सिंग होना चाहिए एवं भारत को अनुवाद मिशन की दिशा में कार्य करना चाहिए जिससे भारत की छवि यहाँ के लोक शब्दवाली में व्यक्त की जाए।

राष्ट्रभाषा का मुद्दा - जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, जिसके पीछे कई तर्क हैं- भारत एक बहुभाषी और बहुसंस्कृति वाला देश है। इसलिए एकल भाषा का महत्व नहीं दिया जा सकता है। इससे यहाँ की भाषिक विविधता प्रभवित होती है। जब भी इस मुद्दे पर चर्चा होती है तो डेमोक्रेसिया में भाषिक खलबली मच जाती है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएँ अलग-अलग परिवार से है। जिसकी अपनी संरचना और इतिहास है।

जब भी राष्ट्रभाषा की चर्चा होती है तो यह संदेश नहीं जाता है कि इसकी क्या महत्ता है बल्कि यह संदेश जाता है कि इसे गैर हिन्दी राज्यों पर थोपा जा रहा है। दवाब समूह द्वारा इसे रोकेने के लिए कई हथकंडे अपनाए जाते हैं- आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन, मुख्य समचर पत्र में इसके विरोध में संपादकीय, इंटरनेट ट्रोल, आदि।

कई राज्यों नें अँग्रेजी को राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया है जबकि आठवीं अनुसूची में अँग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। केंद्र सरकार नें राजभाषा अधिनियम के तहत इसे अस्थायी तौर पर अपनाया है जबकि राज्य नें स्थायी मान लिया है। जिसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय संविधान में किसी राज्य की भाषा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ लिखा गया है कि किसी राज्य की विधायिका उस राज्य के किसी एक या उससे अधिक अथवा हिन्दी का चयन कर सकती है। जब तक यह नहीं किया जाएगा तब तक तक उस राज्य की आधिकारिक भाषा अँग्रेजी होगी। जिसके कारण कुछ राज्यों नें अपनी राज्य की राजभाषा घोषित नहीं किया है। जिसका परिणाम है कि अँग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। ये वो राज्य जहां पहले से ही अशांति है इसलिए केंद्र का रवैया भाषा नीति पर सुस्त हो रहती है।

सरकार नें राजभाषा के रूप में हिन्दी एवं अँग्रेजी दोनों का विकल्प दे दिया है। इसलिए भाषिक चयन में लोगों को समस्या आती है। राजभाषा विभाग के रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया गया है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण लेने के बाद एवं हिन्दी जानते हुए भी प्रशासनिक कार्य अँग्रेजी में करते हैं। जिसमें पत्र व्यवहार, सरकारी पत्र, ज्ञापन, टिप्पणी, अर्धसरकारी पत्र, सूचना, विज्ञापन, टेंडर, वरहिक रिपोर्ट, डिजिटल फ्लैटफोरम पर हिन्दी का प्रयोग न करना आदि।

डेमोक्रेसिया में कॉर्पोरेट न्याय तो होती है। किन्तु भाषाई न्याय नहीं होता है। भाषिक पीड़ा झेल रही जनता कई बार बेजुबान ही न्याय के मंदिर से वापस लौट जाती है। इक्कीसवीं सदी में भी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है। अर्थात सर्वोच्च एवं उच्च न्यायलय की सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। इसलिए यहाँ भाषाई विकल्प सीमित हो जाती है।

कूटनीति के मंच पर भी देखा जाता है कि सम्बोधन की भाषा अँग्रेजी होती है। कभी प्रधानमंत्री अँग्रेजी में बोलते हैं और कभी हिन्दी में जिसका प्रभाव भारत के आंतरिक एवं बाह्य हित पर पड़ता है।

समान शिक्षा पद्धति का अभाव- शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसलिए प्रत्येक राज्य की भाषा नीति का अलग-अलग रास्ता है। जिसके कारण राष्ट्रभाषा के नाम में पर सभी राज्यों के नियम में बिखराव है।

भारतीय भाषा की संवैधानिक स्थिति - भारतीय संविधान में किसी राज्य की भाषा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ लिखा गया है कि किसी राज्य की विधायिका उस राज्य के किसी एक या उससे अधिक अथवा हिन्दी का चयन कर सकती है। जब तक यह नहीं किया जाएगा तब तक तक उस राज्य की आधिकारिक भाषा अँग्रेजी होगी। इसके परिणाम में सभी राज्यों नें एक या उससे अधिक भाषा को राज्य की राजभाषा घोषित किया है। जैसे-

राज्यों का भाषिक चयन आठवीं अनुसूची से परे है। इसके साथ हिन्दी एवं गैर हिन्दी राज्य के बीच पत्राचार का माध्यम अँग्रेजी होगा। यदि यहाँ अँग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषा और हिन्दी को स्थान दिया जाता तो भारतीय भाषा और हिन्दी की वर्तमान परिस्थिति बेहतर होती। यदि कर्नाटक राज्य राजकीय भाषा कन्नड में कोई अधिनियम बनाता है या विधानसभा में कोई विधेयक पेश करता है तो उसे इसकी अँग्रेजी में अनूदित प्रति भी तैयार करनी होगी।

न्यायालय में भारतीय भाषा की स्थिति में सुधार लाने के लिए संसद द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिसका परिणाम यह होता है कि न्यायालय की कार्यवाही में सभी भारतीय भाषा असंवैधानिक हो जाती है। जिसके कारण अभी फैसले की भाषा अँग्रेजी बनी हुई है।

भारतीय संविधान के भाग XVII अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में - संघ की भाषा , क्षेत्रीय भाषाओं , न्यायपालिका की भाषा और कानूनों और विशेष निर्देशों को उल्लेखित किया गया है। यहाँ क्षेत्रीय भाषा का अर्थ मूल रूप से भारतीय भाषा से ही है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

भाषा की संवैधानिक स्थिति का सार इस प्रकर है- "राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद"[2]

अनुच्छेद	विषय वस्तु
संघ की भाषा	
343	संघ की राजभाषा (हिन्दी और अँग्रेजी
344	राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति
क्षेत्रीय भाषाएँ	
345	राज्य की राजभाषा अथवा भाषा
346	एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा
347	किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों की भाषा	
348	सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा
349	भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया
विशेष विनिर्देश (डायरेक्टिव्स)	
350	शिकायम निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा
350 ए	प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएँ
350 बी	भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी
351	हिन्दी भाषा विकास के लिए विनिर्देश

निष्कर्ष-

भारतीय भाषा और हिन्दी भाषा को लेकर राजनीति अधिक होती है। इसकी तुलना में इस पर कार्य कम होता है। हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाना तो बहुत दूर की बात है इस भाषा को जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त उस पर भी यदि चर्चा होती है तो इसका विरोध शुरू हो जाता है। साथ ही विद्यालय स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को लागू न करना। इस भाषा के लिए प्रतिकूल स्थिति तैयार करती है। यदि राज्य सरकार द्वारा यह किया जाता है आधुनिक भारतीय भाषा का भी क्षेत्रीय फैलाव होगा। जिससे भारतीय भाषा के साथ हिन्दी की भी स्थिति बेहतर होगी।

सविधान की आठवीं अनुसूची में उत्तर भारत की उन भाषाओं को शामिल करना खतरनाक है जो हिन्दी भाषा के अंतर्गत है। जैसे भोजीपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए तो इससे हिन्दी बोलने वालों की संख्या में कमी आएगी।

भोजपुरी बोली में बनी फिल्म के यथार्थ से हम परिचित है। यदि हिन्दी भाषा फिल्म और साहित्य के अंतर्गत पात्रों की भाषिक शैली में भोजपुरी और अंगिका शैली का प्रयोग हो तो हिन्दी के साथ- साथ इन बोली का भी विकास होगा। इसका उदाहरण फिल्म पीके और दंगल से दिया जा सकता है। जहां बोली में भोजपुरी और हरियाणवी का प्रयोग हुआ है। यह किसी भी भोजपुरी फिल्म की तुलना में ज्यादा दर्शकों तक पहुंचा। कोड स्वीचिंग और मिक्सिंग के माध्यम से इस प्रकार का कार्य किया जा सकता है।

न्यायाल के संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि मौखिक रूप से तो हिन्दी एवं भारतीय भाषा का प्रयोग होता है किन्तु व्यवहार में इसका प्रयोग नहीं होता है। यदि कभी इसे चुनौती भी दिया जाता है तो उसे असंवैधानिक करार दिया जाता है। भाषा के साथ इससे बड़ा खेलवार कभी नहीं हुआ होगा। ऐसे गंभीर एवं सवेदशील मुद्दों पर संसद द्वारा कभी बहस नहीं होती है। यदि भारत में भाषा की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो संसद में राजभाषा (हिन्दी और अँग्रेजी), मदिर में संस्कृत और भारतीयभाषा, रेल आहुर सड़क पर बोलचाल वाली मिश्रित हिन्दी, विद्यालय में हिन्दी और स्थानीयबोली, अँग्रेजी माध्यम के विद्यालय में अँग्रेजी और हिन्दी एवं न्यायाल में अँग्रेजी का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त भी **कई चुनौतियाँ है** - जैसे राज भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा, प्रयोजनमूलक भाषा, शास्त्रीय भाषा। भारत जैसे देश में जहां तीन कोस पर पानी बदलता है और चार कोस वाणी की स्थिति है। इसलिए भारतीय भाषाओं का विकास के लिए राजनीति करने के बजाय इसके विकास के लिए कदम उठाना चाहिए। जिसमें सरकार की भूमिका एवं राजकीय नीति मत्वपूर्ण होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. किशोरी वासवानी; राजभाषा हिंदी विवेचन और प्रयुक्ति; वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली (संस्करण-2003, आवृत्ति- 2012)
2. देवेन्द्रनाथ शर्मा; राष्ट्रभाषा हिन्दी : समस्याएँ और समाधान; लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद (सातवाँ संस्करण – 2004)
3. देवेंद्रनाथ शर्मा; भाषा विज्ञान की भूमिका; राधाकृष्ण प्रकाशन, इलाहाबाद (छठा संस्करण – 2015)
4. धूमिल; संसद से सड़क तक; राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (पहला संस्करण - 1972, छठा संस्करण-1990, सातवीं आवृत्ति-2009)
5. भोलानाथ तिवारी; हिंदी भाषा का इतिहास; वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली (षष्ठ संस्करण - 2010)
6. राजमल बोरा; भारत की भाषाएँ (ऐतिहासिक एवं भौगोलिक विवेचन); वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली (प्रथम संस्करण-1997, आवृत्ति-2010)

[2] पृष्ठ 61.5

7. रामचन्द्र गुहा; भारत : गांधी के बाद (अनुवाद- सुशांत झा); पेंगुइन बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गाँव (हरियाणा), (प्रथम संस्करण-2012, आवृत्ति-2014)
8. रामचन्द्र गुहा; भारत : नेहरू के बाद (अनुवाद- सुशांत झा); पेंगुइन बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गाँव (हरियाणा), (प्रथम संस्करण-2012, आवृत्ति-2014
9. रामचंद्र वर्मा; अच्छी हिंदी; लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद (परिवर्धित और संशोधित संस्करण - 2008)
10. रामचंद्र शुक्ल; हिन्दी साहित्य का इतिहास; मलिक एंड कंपनी; जयपुर (संस्करण – 2009)
11. रामविलास शर्मा; भाषा और समाज; राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, (पाँचवाँ संस्करण – 2002, आवृत्ति – 2010)
12. रामविलास शर्मा; भारत की भाषा-समस्या; राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली (तीसरा संस्करण – 2003, दूसरी आवृत्ति – 2011)
13. रामविलास शर्मा; भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिन्दी (खंड-1); राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, (पहला संस्करण–1979, आवृत्ति–2012)
14. रामविलास शर्मा; भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिन्दी (खंड–2); राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, (पहला संस्करण–1980, आवृत्ति–2012)
15. रामविलास शर्मा; भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिन्दी (खंड–3); राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, (पहला संस्करण–1981, आवृत्ति–2012)
16. रामविलास शर्मा; ऐतिहासिक भाषाविज्ञान और हिन्दी भाषा (संपादक-राजमल बोरा); राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, (पहला संस्करण - 2001, आवृत्ति-2011)

RRIJM 2015, All Rights Reserved